प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त,
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/ अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग **देहरादून : दिनांक : [illegible]2019**

विषयः दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के क्रियान्वयन की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 सर्वोच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 243/2005, राजीव रतूड़ी बनाम भारत संघ व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–228/2003 नीलेस सिंघित बनाम भारत सरकार व अन्य में पारित निर्णय के क्रम में अवगत कराना है कि राज्य के समस्त सरकारी विभागों से सम्बन्धित websites को दिव्यांगजन फ्रेंडली बनाये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

उक्त के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि websites में विभागों द्वारा upload किये जा रहे समस्त सार्वजनिक अभिलेखों (शासनादेश, नियमावली इत्यादि) को Unicode font (मंगल फोन्ट) में type करवाते हुए Ms Word file से सीधे PDF में convert किए जाने का कष्ट करें।

पूर्व में कतिपय विभागों द्वारा अपने विभाग से सम्बन्धित जो भी scanned अभिलेख upload किये गये हैं, उन दस्तावेजों/अभिलेखों को पुनः उपरोक्त प्रक्रिया – Unicode font में type करवाते हुए Ms Word से PDF में convert करने के उपरान्त website पर उपलब्ध screen reader software के माध्यम से जांच कर upload कराने का कष्ट करें, जिससे सम्बन्धित अभिलेख दिव्यांगजन friendly हो पाएंगी।

उपरोक्त क्रम में दिनांक 24 जुलाई 2019 को अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में आहूत बैठक में अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण की माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दिनांक 30.07.2019 को सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित है। अतः समस्त विभागों से अनुरोध है कि दिनांक 27.07.2019 तक अपने विभागों से सम्बन्धित अद्यतन प्रगति आख्या सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि दिनांक 30.07.2019 से पूर्व सूचनाएं मा0 सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकें।

भवदीय,
25/07/19
(रमेश कुमार सुधांशु)
सचिव

संख्या / XXXIV/2019–31/सू0प्रौ0/2017/टी0सी0–।

प्रतिलिपः–

1. अपर सचिव (मे0 योगेन्द्र यादव), समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ।
2. निदेशक, आई0टी0डी0ए0, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से विभागीय websites पर uploaded अभिलेखों को उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार अनुश्रवण किया जाना सुनिश्चित करें।

(एस0एस0टोलिया)
संयुक्त सचिव

Scanned by CamScanner